संख्या- 2 / 2018 / 370 / 46-2-18-34 / 12

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 13 मार्च, 2018

विषय- **चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 का समय विस्तार किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-111 एस0सी0/18-2-2013-34/12 दिनांक 28 जनवरी, 2013, शासनादेश सं0-9/2015/941एस0सी0/18-2-2015-34/12 दिनांक 09 सितम्बर, 2015, तथा शासनादेश सं0-15/2015/1411 एस0सी0/18-2-2015-34/12 दिनांक 08 दिसम्बर, 2015, जिसके माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर चीनी मिलों, आसवनियों व कोजनरेशन की स्थापना हेतु चीनी उद्योग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 लागू की गई है तथा शासनादेश सं0-11/2016/1604 एस0सी0/18-2-2016-34/12 दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 द्वारा चीनी उद्योग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 की अवधि अतिरिक्त एक वर्ष, अर्थात जनवरी, 2018 तक बढायी गयी थी, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत नीति में दी गई छूट एवं शर्तो से आकर्षित होकर विभिन्न चीनी मिल समूहों द्वारा प्रदेश में निवेश किया जा रहा है। अतः सम्यक विचारोपरान्त **चीनी उद्योग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013, जिसकी अवधि माह जनवरी, 2018 में समाप्त हो गई है, की अवधि 31 मार्च, 2018 (वित्तीय वर्ष के अन्त तक) या नई नीति के प्राख्यापन, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए बढाया जाता है।**

3- तदनुसार उक्त नीति में प्राविधानित व्यवस्था व अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

------2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 2/2018 / 370 (1) /46-2-18 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, उर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ।
12- निदेशक, गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर।
13- निदेशक, गन्ना शोध परिषद लखनऊ।
14- निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
15- चीनी उद्योग अनुभाग-1 एवं 3
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।